(2)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

सुशीला बाई बनाम पुष्पाबाई मृतक जर्ये का.मु. हंसराज वगै0

किस्म मुकदमाः– कन्टेम्पट प्रार्थना–पत्र

मिसल नं0 2025/60

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
30/06/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी उपस्थित। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस प्रार्थना पत्र कंटेम्पट पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में अपील संख्या 2017/501 के विचाराधीन रहते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील संख्या 2017/501 में दिनांक 03.01.2018 को विवादित आराजी पर स्टे ऑर्डर पारित किया गया। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 03.01.2018 के प्रभावी रहने की पूर्ण जानकारी अप्रार्थीगण को थी, इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/2(3) के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 के साथ षड़यंत्र करते हुए व दुरभि सन्धि करते हुए कपटपूर्वक दिनांक 04.05.2018 को विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड नोटराईज्ड इकरारनामे से आपस में खरीद बेचान करके व खुर्द–बुर्द करके माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की अवहेलना व अवमानना कारित कर दी है जिससे न्याय के उद्श्यों में विफलता कारित हुई है। उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने के कार्य में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 8 लगायत 16 भी उक्त लिखित इकरार नामा दिनांक 04.05.2018 के केतागण व विकेतागण के साथ पूर्णरूप से सकिय व सम्मिलित रहे है जो उक्ता अपील संख्या 17/501 के स्वतंत्र व निर्बाध विचारण में विधि विरूद्ध रूप से बाधा कारित कर रहे है, जिनकी सम्पत्तियों को नियमानुसार कुर्क किया जाना व उन्हें निरूद्ध कर कारावास से दण्डित किया जाना न्यायहित में आवश्यक व समीचिन हो चुका है। अन्तरिम स्टे आदेश की उक्त व्यक्तियों ने जानबूझकर अवहेलना व अवमानना कारित की	

है जिसके लिए उन्हें दण्डित किया जाना आवश्यक हो चुका है ताकि न्यायालय की गरिमा व प्राधिकारिता सुरक्षित रहे व विधि के शासन को भी पुष्टि मिले। उक्त नोटराईज्ड इकरारनामे की जानकारी प्रार्थीया को दिनांक 05.06.2018 को प्राप्त हुई। अंत में अधिवक्ता प्रार्थी ने कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.06.2018 की अवहेलना के लिये सजा व जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी कम 04 लगायत 7 ने अपनी बहस में जवाब कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दाहराते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 2017/501 का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है। उक्त अपील में माननीय न्यायालय जो अंतरिम आदेश पारित किया गया था उसकी कोई अवहेलना अप्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई है। विवादित आराजी अपील पेश करने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 4 , 5, 6 के खाते दर्ज थी तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 के खाते में ही दर्ज है। उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 द्वारा दिनांक 22. 06.2016 को ही रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से खरीद लिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा जो रहन, बेचान सम्बंधी स्थगन आदेश दिया गया था उसका कोई उल्लंघन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। तथाकथित इकरारनामें की कोई प्रति प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण पर अनुचित दबाव बनाने की नीयत से प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि अपील प्रस्तुत करने से पूर्व विवादित अराजी की क्या स्थिति थी। उक्त आराजी के मूल खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6 रहे है तो वे स्वयं ही खुद की जमीन का खुद को किस प्रकार बैचान कर सकते है। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की अप्रार्थीगण द्वारा कोई अवहेलना नहीं की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा विवादित जमीन का दौराने अपील या निस्तारण के बाद किसी भी तरह का बेचान या आराजी को खुर्द बुर्द नहीं किया गया है जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अंत में अप्रार्थी कम 04 लगायत 07 ने प्रार्थी का

प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी कम 04 लगायत 07 द्वारा प्रस्तुत जवाब कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा विवादित भूमि को दिनांक 04.06.2018 को जरिये नोटराईज्ड इकरारनामें से अप्रार्थीगण द्वारा आपस में खरीद बेचान व खुर्द बुर्द करने का कथन किया है। परन्तु अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी/अधिवक्ता अथवा प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी को अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को ठोस दस्तावेज/साक्ष्यों द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है परन्तु प्रार्थीया ने हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अंतरण अथवा खुर्द बुर्द किया जाना प्रमाणित होता हो। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अपने द्वारा कहे गये तथ्यों को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/6/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा